"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016— वैशाख 9, शक 1938

### चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-118/2006/9/55-4.—छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा. — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- — धारा 2 का संशोधन.

"(ट-1) "विभाग" से अभिप्रेत है विश्वविद्याल द्वारा यथा घोषित विभाग."

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में,- — धारा 3 का संशोधन.

(एक) "छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) अर्द्ध विराम चिन्ह ";", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप-धारा (1) के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु यह कि,-
(क) ऐसे समस्त लिखत, संविदायें, डिग्री, डिप्लोमा, आदेश, अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हस्ताक्षरित है ऐसे माने जायेंगे मानो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के नाम से जारी किये गये हों; और
(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरण, जिसमें छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पक्षकार हो, उसी रीति से निरंतर बने रहेंगे जैसे कि यह संशोधन न किया गया हो."

धारा 11 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (11) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(11) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा."

धारा 14 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर, राज्य शासन द्वारा की जायेगी."

धारा 19 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "सात" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 31 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (6) में, शब्द "का पुर:स्थापन" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आलोक अवस्थी**, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 10-118/2006/9/55-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आलोक अवस्थी**, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27th April 2016

NOTIFICATION

No. F. 10-118/2006/9/55-4.—A bill further to amend the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008 (No. 21 of 2008).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh (Amendment) Act, 2016.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 2.**

2. After clause (k) of Section 2 of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008 (No. 21 of 2008), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(k-1) "Department" means department as declared by the University."

**Amendment of Section 3.**

3. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act,-

(i) for the words "Ayush and Health Sciences University Chhattisgarh", the words "Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh" shall be substituted;

(ii) for the punctuation semi colon ";", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(iii) below sub-section (1), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that,-

(a) All the instrument, contract, degree, diploma, order, notification signed in the name of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh shall be deemed to be issued in the name of Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh; and

(b) The cases pending before any Court, Tribunal or Authority, in which the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh is a party shall continue in the same manner as if this amendment has not been made."

**Amendment of Section 11.**

4. For sub-section (11) of Section 11 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(11) The Vice-chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor."

**Amendment of Section 14.**

5. For sub-section (3) of Section 14 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(3) The Registrar shall be appointed on deputation by the State Government."

**Amendment of Section 19.** 6. In sub-section (3) of Section 19 of the Principal Act, for the word "ten", the word "seven" shall be substituted.

**Amendment of Section 31.** 7. In sub-section (6) of Section 31 of the Principal Act, the words "shall be introduced" shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .